सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी :- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 111/2018 दायर दिनाँक 09.04.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. मदनसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र–61साल, जाति–राजपूत, निवासी–डाबला, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. धनसिंह पुत्र श्यामसिंह, उम्र–20साल, 2. संजुकँवर पत्नी श्यामसिंह, उम्र–40साल, 3. रूड़सिंह पुत्र हनुवन्तसिंह, उम्र–40साल, 4. शिम्भुसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह, उम्र–36साल, 5. केशरसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह, उम्र–30साल, 6. नथुकँवर पत्नी हनुवन्तसिंह, उम्र–65साल, 7. नन्दुकँवर पुत्री हनुवन्तसिंह, उम्र–42साल, 8. ओमसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र–48साल, 9. रामसिंह पुत्र नन्दसिंह, उम्र–35साल, 10. श्रवणसिंह पुत्र नन्दसिंह, उम्र–33साल, 11. उच्छबकँवर पत्नी नन्दसिंह, उम्र–60साल, 12. सदाकँवर पत्नी हरिसिंह, उम्र–60साल, 13. प्रेमकँवर पत्नी मदनसिंह, उम्र–55साल, 14. मंगलसिंह पुत्र बोदूसिंह, उम्र–40साल, 15. सायरकँवर पत्नी बोदूसिंह, उम्र–70साल, 16. पूर्णसिंह पुत्र भँवरसिंह, उम्र–30साल, 17. गंगासिंह पुत्र भगवानसिंह, उम्र–65साल, 18. जगदीशसिंह पुत्र भगवानसिंह, उम्र–63साल, 19. गोकलसिंह पुत्र भगवानसिंह, उम्र–63साल, 20. बजरंगसिंह पुत्र स्वर्गीय हनुमानसिंह, उम्र–65साल, 21. दशरथसिंह पुत्र स्वर्गीय

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 111/2018
दायर दिनाँक 09.04.2018, निर्णय दिनाँक 14.09.2018
मदनसिंह बनाम् धनसिंह, वगैरा।

		हनुमानसिंह, उम्र–60साल, 22. राजदीपेन्द्रसिंह पुत्र राजरघुवीरसिंह, उम्र–40साल, 23. राजप्रेमेन्द्रसिंह पुत्र राजरघुवीरसिंह, उम्र–38साल, 24. भँवरकँवर पत्नी राजरघुवीरसिंह, उम्र–60साल, 25. इन्द्रकँवर पुत्री राजरघुवीरसिंह, उम्र–36साल, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 26. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 06, 10, 11, 13, 15 व 18 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 14.09.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद डाबड़ा में खसरा नम्बर 643/265 रकबा 05.02 बीघा व खसरा नम्बर 650/309 रकबा 14.06 बीघा व खसरा नम्बर 233 रकबा 23.19 बीघा तथा खसरा नम्बर 234 रकबा 0.07 बीघा भूमि अवस्थित है जो कि संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है मगर निम्न मौखिक बन्टवारा अनुसार भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण काबिज हैं। मौखिक बन्टवारा निम्न हैः–

(क) खसरा नम्बर 343/265 रकबा 05.02 बीघा भूमि वादी के कब्जाकाश्त में है।

(ख) खसरा नम्बर 650/309 रकबा 14.06 बीघा भूमि, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के कब्जाकाश्त मे है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या 111/2016
दायर दिनांक 09.04.2016, निर्णय दिनांक 14.09.2018
मदनसिंह बनाम भंवरसिंह, वगैरा।

(ग) खसरा नम्बर 233 रकबा 23.19 बीघा भूमि में से रकबा 12.00 बीघा में वादी मदनसिंह के व रकबा 03.16 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 13 के व रकबा 06.00 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 25 के व रकबा 0.10 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 08 आमरसिंह के व रकबा 0.11 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 17 गंगासिंह के तथा रकबा 0.12 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 19 के तथा रकबा 0.10 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 07 के कब्जाकाश्त में है।

(घ) खसरा नम्बर 234 रकबा 0.07 बीघा गैरमुमकिन बैरा वादी मदनसिंह के हिस्से में है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद डावड़ा स्थित वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 643/265 रकबा 05.02 बीघा व खसरा नम्बर 650/309 रकबा 14.06 बीघा व खसरा नम्बर 233 रकबा 23.19 बीघा तथा खसरा नम्बर 234 रकबा 0.07 बीघा की खातेदारी पक्षकारान् मौखिक बन्ट मुताबिक घोषित किया जावे जो कि वाद संलग्न नजरीनक्शा में भी दर्शित है।

खसरा नम्बर 343/265 रकबा 05.12 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम हटाया जावे।

खसरा नम्बर 650/309 रकबा 14.06 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से वादी मदनसिंह का नाम हटाया जावे।

खसरा नम्बर 233 रकबा 23.19 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16 व 18 का नाम हटाया जावे।

खसरा नम्बर 234 रकबा 0.07 बीघा गैरमुमकिन बैरा के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 25 का नाम हटाया जावे।

वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 26 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 04, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 17, 19 ता 26 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 06, 10, 11, 13, 15 व 18 की ओर से राजीनामा मय नजरीनक्शा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढ़कर सुनाई व समझाई गयी जिसे बिना किसी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 111/2018
दायर दिनाँक 09.04.2018, निर्णय दिनाँक 14.09.2018
मदनसिंह बनाम् धनसिंह, वगैरा।

दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मोहम्मद रफीक ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा मय नजरीनक्श के मुताबिक,

1. खसरा नम्बर 643/265 रकबा 05.02 बीघा सम्पूर्ण का वादी के रखी जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम हटाया जावे।
2. खसरा नम्बर 650/309 रकबा 14.06 बीघा में से रकबा 06.14 बीघा का खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को व रकबा 07.12 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी का नाम हटाया जावे।
3. खसरा नम्बर 233 रकबा 23.19 बीघा में से रकबा 12.00 बीघा का वादी मदनसिंह को व रकबा 03.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 13 को व रकबा 06.00 का प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 25 को व रकबा 0.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 08 ओमसिंह को व रकबा 0.11 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 17 गंगासिंह को व रकबा 0.12 बीघा का प्रतिवादी संख्या 19 गोकलचन्द को व रकबा 0.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 को नजरीनक्शा अनुसार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 06, 07, 09 ता 12, 14 ता 16 व 18 का नाम हटाया जावे।
4. खसरा नम्बर 234 रकबा 0.07 बीघा गैरमुमकिन बैरा वादी के हिस्से में घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 25 का नाम हटाया जावे।

वाद के समर्थन में वादी ने, नक्शा ट्रेश, जमाबन्दी ग्राम डाबडा सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 286/279 खसरा नम्बर 233 व 234 की प्रमाणित प्रतिलिपि व जमाबन्दी ग्राम डाबड़ा सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 183/174 तथा 166/160 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पेश की है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् जरिये वकुलाय मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा मय नजरीनक्शा के सहमत हैं इसलिए राजीनामा मय नजरीनक्शा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाने का न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अत:, वाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा मय नजरीनक्शा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 111/2018
दायर दिनाँक 09.04.2018, निर्णय दिनाँक 14.09.2018
मदनसिंह बनाम् धनसिंह, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके शरहद डाबड़ा के वादवर्णित खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इन खसरान् वर्तमान खातेदारी को निरस्त कर इसके स्थान पर, राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा में दर्शित/वर्णित भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 643/265 रकबा 05.02 बीघा सम्पूर्ण का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम हटाया जाता है।
2. खसरा नम्बर 650/309 रकबा 14.06 बीघा में से रकबा 06.14 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को व रकबा 07.12 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से वादी का नाम हटाया जाता है।
3. खसरा नम्बर 233 रकबा 23.19 बीघा में से रकबा 12.00 बीघा का वादी को व रकबा 03.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 13 को व रकबा 06.00 का प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 25 को व रकबा 0.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 0.11 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 17 को व रकबा 0.12 बीघा का प्रतिवादी संख्या 19 को व रकबा 0.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 06, 07, 09 ता 12, 14 ता 16 व 18 का नाम हटाया जाता है।
4. खसरा नम्बर 234 रकबा 0.07 बीघा गैरमुमकिन बैरा सम्पूर्ण खातेदारी वादी के हक में घोषित की जाती है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 25 का नाम हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 14.09.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 111/2018 दायर दिनाँक 09.04.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. मदनसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र–61साल, जाति–राजपूत, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. धनसिंह पुत्र श्यामसिंह, उम्र–20साल, 2. संजुकँवर पत्नी श्यामसिंह, उम्र–40साल, 3. रूड़सिंह पुत्र हनुवन्तसिंह, उम्र–40साल, 4. शिम्भुसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह, उम्र–36साल, 5. केशरसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह, उम्र–30साल, 6. नथुकँवर पत्नी हनुवन्तसिंह, उम्र–65साल, 7. नन्दुकँवर पुत्री हनुवन्तसिंह, उम्र–42साल, 8. ओमसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र–48साल, 9. रामसिंह पुत्र नन्दसिंह, उम्र–35साल, 10. श्रवणसिंह पुत्र नन्दसिंह, उम्र–33साल, 11. उच्छवकँवर पत्नी नन्दसिंह, उम्र–60साल, 12. सदाकँवर पत्नी हरिसिंह, उम्र–60साल, 13. प्रेमकँवर पत्नी मदनसिंह, उम्र–55साल, 14. मंगलसिंह पुत्र बोदूसिंह, उम्र–40साल, 15. सायरकँवर पत्नी बोदूसिंह, उम्र–70साल, 16. पूर्णसिंह पुत्र भँवरसिंह, उम्र–30साल, 17. गंगासिंह पुत्र भगवानसिंह, उम्र–65साल, 18. जगदीशसिंह पुत्र भगवानसिंह, उम्र–63साल, 19. गोकलसिंह पुत्र भगवानसिंह, उम्र–63साल, 20. बजरंगसिंह पुत्र स्वर्गीय हनुमानसिंह, उम्र–65साल, 21. दशरथसिंह पुत्र स्वर्गीय

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		हनुमानसिंह, उम्र–60साल, 22. राजदीपेन्द्रसिंह पुत्र राजरघुवीरसिंह, उम्र–40साल, 23. राजप्रेमेन्द्रसिंह पुत्र राजरघुवीरसिंह, उम्र–38साल, 24. भँवरकँवर पत्नी राजरघुवीरसिंह, उम्र–60साल, 25. इन्द्रकँवर पुत्री राजरघुवीरसिंह, उम्र–36साल, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 26. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 14.09.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 06, 10, 11, 13, 15 व 18 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके शरहद डाबड़ा के वादवर्णित खसरान् की भूमि का बन्टवारा "वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इन खसरान् वर्तमान खातेदारी को निरस्त कर इसके स्थान पर, राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा में दर्शित/वर्णित भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 643/265 रकबा 05.02 बीघा सम्पूर्ण का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम हटाया जाता है।
2. खसरा नम्बर 650/309 रकबा 14.06 बीघा में से रकबा 06.14 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को व रकबा 07.12 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से वादी का नाम हटाया जाता है।
3. खसरा नम्बर 233 रकबा 23.19 बीघा में से रकबा 12.00 बीघा का वादी को व रकबा 03.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 13 को व रकबा 06.00 का प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 25 को व रकबा 0.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 0.11 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 17 को व रकबा 0.12 बीघा का प्रतिवादी संख्या 19 को व रकबा 0.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 06, 07, 09 ता 12, 14 ता 16 व 18 का नाम हटाया जाता है।

4. खसरा नम्बर 234 रकबा 0.07 बीघा गैरमुमकिन बैरा सम्पूर्ण खातेदारी वादी के हक में घोषित की जाती है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 25 का नाम हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत..... .....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **14.09.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–111–2018/रीडर/2018/ दिनॉक 19/9/18

प्रेषितः– 836

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मदनसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र–61साल, जाति–राजपूत, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. धनसिंह पुत्र श्यामसिंह, उम्र–20साल, जाति–राजपूत, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner